दा0प्र0क0—1688/2022 राज्य विरूद्ध हरिदास राय व एक अन्य

Witness No........**01**.............for......**अभियोजन**..............Deposition taken

the...**08-12-2023**............day of ....Witness's apparaentage ...**31**............

States of affirmation............my nameP .;........**राकेश देवनाथ**........................

son /hus. of .**श्री कालीपद देवनाथ......**occupation .....**व्यवसाय........**

address.**साकिन—कृषि विज्ञान केन्द्र के सामने सिंगारभाट, थाना—कांकेर, जिला—उ.ब.कांकेर**..

(साक्ष्य प्रारंभ—03:25 बजे)

मुख्य परीक्षण द्वारा सुश्री रीना देहारी ए0डी0पी0ओ0 वास्ते राज्य

01— मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी हरिदास एवं न्यायालय अनुपस्थित आरोपी सोनू नाग को जानता पहचानता नहीं हूं।

02— घटना दिनांक 27.08.2022 के रात्रि के लगभग 12 बजे की है। घटनास्थल सिंगारभाट में मेरे किराना दुकान (जगन्नाथ किराना दुकान) की है। घटना दिनांक को मैं ग्राम बांदे गया था। बांदे में मेरी मां उमारानी के द्वारा मोबाईल से मुझे खबर दी कि दुकान के शटर में लगे दो ताले में से एक ताला टूआ हुआ है एवं दुकान के पीछे छोटे दरवाजे जिसमें ताला लगा हुआ था वह भी टूटा हुआ है और इसी छोटे दरवाजे में से अज्ञात व्यक्ति दुकान के अंदर घुसकर किराना दुकान में रखा किराना सामान को चोरी करके ले गये है। चोरी की गयी सामान में से अर्जुन चावल की बोरी 25 किलो का 10 बोरी, आर्शीवाद कंपनी का आटा 05 किलो का 03 पैकेट, सरसो तेल लाल गुलाब का 01 पेटी, सरसों तेल आधा लीटर का 10 बॉटल, सरसो तेल 200 एम.एल. का 10 बॉटल, महाकोश 01 लीटर का 18 पाउच, एबिस गोल्ड आधा लीटर का 12 पाउच, सरसों आंवला तेल 10 रूपये वाली 06 नग, डाबर आंवला 10 रूपये वाली 05 नग, रेड लेबल चायपत्ति एक पाव का 26 पैकेट चोरी करकर ले गये थे। चोरी की गयी किराना सामान की किमत लगभग 35,000/—रूपये थी। मेरी मां के द्वारा फोन पर चोरी की खबर दिये जाने के पश्चात् लगभग 02 दिन बाद मैं बांदे से वापस घर कांकेर आया और चोरी की हुई सामान का मिलान किया और थाने में जाकर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया।

03— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.—02 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। लिखित आवेदन प्र.पी.—01 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे समक्ष पुलिस वाले घटनास्थल का नक्शा बनाये थे, नजरी नक्शा प्र.पी.—03 है, जिसके अ से अ

भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे समक्ष ताले की जप्ती हुई थी, इसके अलावा अन्य कोई जप्ती नहीं हुई थी। जप्ती पत्रक प्र.पी.—04 एवं 05 दिखाये जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया। मैंने मेरे किराना दुकान से चोरी हुआ किराना सामान को सुपुर्दनामा में प्राप्त किया था, जो कि प्र.पी.—06 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। घटना के संबंध में पुलिस वाले मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लेखबद्ध किये थे।

टीपः— इसी स्तर पर ए0डी0पी0ओ0 द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण स्वरूप प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी। अभिलेख के अवलोकन के बाद अनुमति दी गयी।

04— यह कहना सही है कि दिनांक 05.08.2022 को पुलिस वाले मुझसे जप्ती पत्रक प्र.पी.—04 में उल्लेखित संपत्ति की जप्ती किये थे।

<u>**प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जी.के.साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त सोनूराम**</u>

05— 27.08.2022 को सिंगारभाट स्थित जगन्नाथ किराना दुकान बंद या चालू था मैं नही बता सकता। यह कहना सही है कि घटना 27.07.2022 की है। यह कहना सही है कि दुकान में स्टॉक रजिस्टर बनाकर नहीं रखते है। यह कहना सही है कि उक्त घटना के संबंध में मेरी मां द्वारा फोन से सूचना देने के पश्चात् जब मैंने बांदे से वापस कांकेर आया तब जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया हूं, इसके पहले मेरे परिवार वाले उक्त घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज नही कराये थे। यह कहना सही है कि मेरा किराना दुकान नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। यह कहना सही है कि नेशनल हाईवे होने के कारण मेरे दुकान से सामने से हमेशा लोगों का आना—जाना लगे रहता है।

06— यह कहना सही है कि घटना रात्रि के घटनास्थल में मैं उपस्थित नही था। यह कहना सही है कि मेरे किराना दुकान में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी किया गया था। यह कहना गलत है कि नजरी नक्शा प्र.पी.—03 मेरे समक्ष पुलिस वालों ने तैयार नही किया था। यह कहना गलत है कि प्रपी—03 का हस्ताक्षर मैं पुलिस थाना में किया था। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष प्रपी.—04, 05 की कार्यवाही पुलिस वाले नहीं किये थे। यह कहना गलत है कि मेरे दुकान से चोरी नहीं हुई थी।

<u>**प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संजय शर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त हरिदास**</u>

07— यह कहना सही है कि मेरे दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी किये थे उस वक्त मैं अपने ससुराल गया हुआ था। मुझे मेरे मां के द्वारा सूचना दिये जाने पर मैं अपने घर दो दिन के बाद घर आया। मेरे मां दुकान खोलकर बैठे थे और जब तक मैं नहीं आया, तब तक पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करने थाना गया था। यह कहना सही है कि कोई भी व्यवसाय या किराना दुकान खोलते वक्त दुकान की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें वित्तीय कर जी.एस.टी. और टीन नंबर लिया जाता है फिर उस दुकान पर संचालक प्रोपराईटर के रूप में सामान की खरीदी बिक्री होती है।

08— मैंने अपनी किराना दुकान के संबंध में कोई जी.एस.टी. और टीन नंबर प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया हूं। यह कहना सही है कि किराना दुकान में कुछ भी सामान जो

क्रय–विक्रय करते हैं उस सामान का खरीदी का रसीद टीन नंबर सहित दुकानदार सामान देते है, जिसमें टीन नंबर का उल्लेख रहता है। मैंने उक्त सामान खरीदी के संबंध में अपने प्रकरण में तेल, चावल, चायपत्ती, आंवला तेल का मैंने बिल इस प्रकरण में पेश किया हूं। यह कहना गलत है कि मैंने अपने प्रकरण में सामानों का बिल पेश किया है। यह कहना गलत है कि मेरे दुकान से कोई सामान की चोरी नहीं हुई थी बल्कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया हूं।

09– यह कहना सही है कि थाने वालों ने मेरा थाने में हस्ताक्षर लिये थे हस्ताक्षर लेने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया था। यह कहना सही है कि ताला बाजार में मिलता है। यह कहना सही है कि थाने वाले ने ताला थाना में लाकर जप्त किया है, वह किस नंबर का था क्या लिखा हुआ था मेरा हस्ताक्षर थाने में लिये थे। यह कहना गलत है कि मैंने झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया है।

(साक्ष्य समाप्त–04.05बजे)
साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। **मेरे निर्देशन पर टंकित।**
सही होना पाया।

बयानकर्ता के हस्ताक्षर

सही / –	**सही / –**
(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)	**(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,	**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
उ0ब0 कांकेर (छ.ग.)	**उ0ब0 कांकेर (छ.ग.)**